RAJYA SABHA

Wednesday, the 16*th July,* 2014/25*th Ashadha,* 1936 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

RE. IMPLEMENTATION OF OLD PATTERN OF EXAMS BY UPSC

MR. CHAIRMAN: Question 121. ...(*Interruptions*)...

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) **:** श्रीमन्, हमारा एक नोटिस है। **...(व्यवधान)...** यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने वर्ष 2011 में "सी सैट" परीक्षा प्रणाली शुरू की थी । इसका परिणाम यह हुआ है कि जो छात्र हिंदी व रीजनल लेंग्वेज से एपियर होते हैं, वे इस परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं । महोदय, वर्ष 2013 की परीक्षा में कुल 1122 छात्र कामयाब हुए हैं, उनमें हिंदी माध्यम के केवल 26 मात्र हैं और अन्य रीजनल लेंग्वेजेज के भी 20-25 छात्र हैं । इसमें पास होने वाले 80 परसेंट से ज्यादा छात्र अंग्रेजी जानने वाले हैं ।

श्री सभापति : आप डिस्कशन के लिए नोटिस दीजिए।

प्रो. राम गोपाल यादव : महोदय, स्थिति यह होने वाली है कि आईएएस, आईपीएस व आईएफएस के एक्जाम में हिंदी व रीजनल लेंग्वेज के छात्र पास हो ही नहीं सकते। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: Thank you. We will ...*(Interruption*s)... We will ...(*Interruptions*)...

प्रो. राम गोपाल यादव : मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस सिस्टम को खत्म कर पहले वाली परीक्षा प्रणाली लागू करें । महोदय, आज हजारों छात्र इस मांग को लेकर अनशन पर बैठे हैं। महोदय, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इस परीक्षा को अभी रोका जाए और इसमें पूरा बदलाव किया जाए । **...(व्यवधान)...** यह स्थिति पैदा कर दी गयी है कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी लड़का अब आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन नहीं सकता ।

MR. CHAIRMAN: Ram Gopal*ji*, we will request the Government to clarify the matter. आपने अपनी बात कह दी। Question 121, please.

प्रो. राम गोपाल यादव : आप निर्देश दे दें, माननीय नेता सदन में बैठे हुए हैं।

MR. CHAIRMAN: Government will clarify the matter. Question 121, please.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन

*121. **डा. चंदन मित्रा** : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में प्रत्येक तीन वर्षों के पश्चात् प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन किए जाने का उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो कोयले को छोड़कर, अन्य प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में कई वर्षों से संशोधन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने सभी खनिजों की रॉयल्टी दरों में यथाशीघ्र संशोधन करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए हैं ?

खान मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) और (ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के परंतुक में उल्लेख है कि केंद्र सरकार, किन्हीं तीन वर्षों की अवधि के दौरान रॉयल्टी की दरों में एक से अधिक बार वृद्धि नहीं कर सकती है ।

रॉयल्टी की दरों में पिछला संशोधन 13.08.2009 को किया गया था । एमएमडीआर अधिनियम 1957 में, प्रत्येक तीन वर्षों में रॉयल्टी की दरों में संशोधन करने हेतु केंद्र सरकार के लिए अधिदेश नहीं है, जिससे कि प्रत्येक तीन वर्षों में नई दरें लागू की जा सकें ।

(ग) केंद्र सरकार ने खान मंत्रालय में, खनिजों (गौण खनिज, कोयला, लिग्नाइट तथा भूगर्तभरण के लिए रेत के अलावा) की रॉयल्टी तथा अनिवार्य किराए की दरों में संशोधन करने संबंधी मांग का अध्ययन करने तथा सिफारिशें करने के लिए समय-समय पर अध्ययन समूहों का गठन किया है । सरकार को अध्ययन दल की नवीनतम रिपोर्ट 28.06.2013 को प्राप्त हुई ।

Revision of royalty rates of major minerals

†*121. DR. CHANDAN MITRA: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether there is a provision for revision of royalty rates of major minerals after an interval of every three years in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957;

(b) if so, the reasons for not revising the royalty rates of other major minerals for years except coal; and

(c) the steps taken by Government to revise the royalty rates of all minerals at the earliest ?

THE MINISTER OF MINES (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Proviso to Section 9 (3) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) (MMDR) Act, 1957 stipulates that the Central Government shall not enhance the rates of royalty more than once during any period of three years.

†Original notice of the question was received in Hindi.

The last revision of the rates of royalty was effected on 13.8.2009. The MMDR Act, 1957, does not mandate the Central Government to revise the rates of royalty every three years, so that new rates come into force every three years.

(c) The Central Government in the Ministry of Mines has constituted Study Groups from time to time to study the demands made for revising the rates of royalty on minerals (other than minor minerals, Coal, Lignite and Sand for stowing) and dead rent and to make recommendations. The most recent Study Group Report was received by the Government on 28.6.2013.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, the fact is that the royalty rates of minerals were last revised on 13th August, 2009 and they were due for upward revision by 12th August, 2012. The information that we have at the moment is that the Mines Ministry has recently floated a Draft Cabinet Note on Increasing Royalty of Minerals for inter-Ministerial discussion. Sir, this is a long procedure and can take a lot of time. Since the royalty is one of the major sources of revenue for the States, especially the mineral-producing States, I would like to know, Sir, through you, that since two years have passed beyond the due date of the increase of rates of royalty – they had to be increased by 2012, but still they have not been increased – can the Minister kindly let us know by when the revised royalty rates will be promulgated and will they be with retrospective effect from August, 2012 or the revised rates will come into effect only from the date of proclamation of the new rates?

श्री नरेंद्र सिंह तोमर : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने खनिजों की रॉयल्टी के बारे में सवाल उठाया है । निश्चित रूप से भारत सरकार खनिजों की रॉयल्टी के बारे में चिंतित है और प्रयासरत भी है । माननीय वित्त मंत्री जी के आम बजट के उद्‌बोधन में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है । यह सच है कि वर्ष 2009 में रॉयल्टी बढ़ाने का निर्णय हुआ और उसे घोषित किया गया । फिर तीन वर्ष बाद उसकी समीक्षा की जा सकती थी, लेकिन वह किन्हीं कारणों से नहीं हुई। महोदय, अगर हम देखें तो उसमें यह भी है कि प्रति तीन वर्ष में यह आवश्यक नहीं है कि दरें बढ़ायी जाएं । महोदय, खनिजों पर जो रॉयल्टी मिलती है, इससे राज्य की आय बढ़ती है और भारत सरकार राज्य की आय के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है, राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए हम निश्चित रूप से इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं । मुझे लगता है कि इस दिशा में जो प्रक्रिया चल रही है, वह जल्दी मूर्त रूप लेगी और उसका निर्णय सामने आएगा ।

DR. CHANDAN MITRA: Sir, the Minister has said that it may not be necessary to increase the rates every three years. That may be correct. It may be because of the conditions that prevail that every three years rates need not be increased.

Sir, through you, I would like to know this from the hon. Minister. Is the Government proposing to set up some kind of administrative machinery, a kind of permanent machinery like a Regulatory Authority, which is going to transparently decide whether

royalties should be raised every three years or not rather than taking arbitrary decisions entirely at the Cabinet level? Is it proposing to put in place a mechanism where this can be discussed every three years ?

श्री नरेंद्र सिंह तोमर : माननीय सभापति जी, इस विषय को लेकर समय-समय पर अध्ययन समूह बनाए गए हैं, जिन्होंने अध्ययन भी किया है और अपनी रिपोर्ट्स भी दी हैं। सरकार ने रिपोर्ट्स उन रिपोर्ट्स को संज्ञान में लिया है और उनके आधार पर निर्णय किए हैं । इस दृष्टि से कोई और मैकेनिज्म बनाए जाएं, अभी यह विचार में नहीं है ।

SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Sir, the hon. Minister has given us a long generalised statement. Everyone here is aware that Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh are the three States which are the poorest States having the richest mineral resources. And they will continue to be the poorest. The basic reason behind this is the non-revision of reasonable royalty rates. In the first decade of this century, nearly lakhs of crores of rupees were lost on iron ore royalty and the gain was not of the Government of India but of the mining lessees. That is the biggest loss to these three States. These three States could have come out of the poverty trap. Over four decades, the revision of royalty has sometimes been delayed by ten years and sometimes by five years. Currently, it is now delayed by five years. And royalty rates have not been revised as yet. Now there is a talk of increasing the particular time period. Will the Minister please state whether instead of this kind of revision, they would link it with the value of finished product like it is done in the case of Bauxite with the London Metal Exchange rates of aluminium? If it is done in case of iron ore with steel, manganese with steel and whatever is the best use, then there is no need for these three poorest States having the richest mineral resources to wait for your munificence. Will you kindly consider this ?

श्री नरेंद्र सिंह तोमर : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने रॉयल्टी की दरें बढ़ाने और इसको किसी पद्धति से जोड़ने की बात कही है । अभी सामान्यतया जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार इंडियन माइन्स ब्यूरो इसके लिए प्रयत्न करता है और हम सब लोगों ने भी इस दृष्टि से गंभीर विचार किया है। जो यथा-मूल्य है, उसके प्रतिशत के आधार पर इसका मूल्य निर्धारित होता है। इस संबंध में अभी कोई और प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इंडियन माइन्स ब्यूरो सभी राज्यों के संपर्क में रहता है। जो खनन होता है, उसकी दिन-प्रतिदिन की जानकारी इंडियन माइन्स ब्यूरो को रहती है और वह पूरे माह का विवरण प्रकाशित भी करता है। जो खनन की प्रक्रिया में अन्य खर्चे होते हैं, उससे संबंधित जानकारी भी वह रखता है । तो खर्चे और खनिज, दोनों का जो बाजार मूल्य बनता है, उसको जोड़ कर एक मूल्य प्रकट होता है। उसके बाद बाजार में ही उसका मूल्य तय होता है।

SHRI KALPATARU DAS: Sir, royalty is one of the main source of revenue of the State of Odisha. This has not been revised by the Union Government since 2012. Daily loss of the State Government is five crore rupees. It was revised in 2009 and it was due in 2012. The Union Government is not paying it from the Consolidated Fund of India. It is being paid by the lessees. Lessees are making huge profits,

sometime supernormal profits, above 50 per cent profit. But how will this be compensated? The Finance Minister, in his Budget speech, said that the Government is serious and considering it. Now, the Mining Minister says that the Government is also considering whether they will adopt some other process or they will go for revision in three years or earlier than this. By this, it will be delayed. May I know specifically from the Minister whether the Government of India is going to revise the royalty before considering the other methods – it is already due – and whether they are going to ask the lessees or not to compensate and pay the arrears because the study group has already made a recommendation? It was 10 per cent of the *ad valorem*. It shall now become 15 per cent. They have recommended it. Odisha is a poor State as per every economic requirement. If they deny this and allow the Odisha Government to lose Rs. 5 crore every day, it will be very discriminatory to Odisha and injustice will be done to Odisha.

MR. CHAIRMAN: Let the hon. Minister reply.

श्री नरेंद्र सिंह तोमर : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, तो मैं सरकार की तरफ से उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की मंशा ओडिशा के प्रति बिल्कुल भी पक्षपात करने की नहीं है । जहां तक रॉयल्टी बढ़ाने का प्रश्न है, उसमें भी मैंने यह नहीं कहा कि हम कोई नया मैकेनिज्म बना रहे हैं या हम बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं । मैंने पहले ही इस बात का उल्लेख किया कि राज्यों की आय बढ़े और राज्य तेज़ी से विकिसत हों, इसके लिए भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस प्रतिबद्धता को अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने दोहराया है और इस प्रतिबद्धता को जाहिर किया है ।

सभापति जी, ओडिशा राज्य निश्चित रूप से गरीब है, छत्तीसगढ़ भी गरीब है, झारखंड भी गरीब है। तो इन राज्यों में विकास हो, इनकी आय बढ़े और उसके लिए रॉयल्टी बढ़ाना, इसे सरकार आवश्यक समझती है और इसलिए इस प्रतिबद्धता को हम लोगों ने जाहिर भी किया है और निश्चित रूप से जो पद्धति है, उस पद्धति के अंतर्गत ही इस प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे ।

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. Vijaylaxmi Sadho. ...(*Interruptions*)... No clarifications on supplementaries. ...(*Interruptions*)...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... Now, Dr. Sadho. ...(*Interruptions*)... Please, Mr. Das. ...(*Interruptions*)...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि देश की महत्वपूर्ण नदियों में जो रेत का उत्खनन होता है और ठेका पद्धति से राज्य सरकारें, जिनको उत्खनन के लिए रकबा एलॉट करती हैं, उस रकबे के अतिरिक्त जो उत्खनन होता है, क्या सरकार उसके प्रति जागरूक है ? क्या उन अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध सरकार कोई कायर्वाही कर रही है या जो रॉयल्टी की बुक होती है, वह एक ही बुक, अवैध उत्खनन करने

वाले बार-बार चलाते हैं, तो क्या इस दिशा में सरकार कोई कायर्वाही कर रही है ? साथ ही किनारे पर जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगहें हैं और जो विलेजेज़ हैं, जिनमें इसके अवैध उत्खनन से नुकसान हो रहा है, इसके ऊपर सरकार क्या ध्यान दे रही है, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं ।

श्री नरेंद्र सिंह तोमर : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने बालू के संबंध में प्रश्न किया है । बालू का जो मामला है, वह राज्य सरकार का विषय है । इसमें जो बात पूछी गई है, वह केंद्र सरकार से संबंधित पूछी गई है । इल्लीगल माइनिंग रोकने के लिए राज्य सरकारें समय-समय पर कायर्वाही करती होंगी, उनकी जानकारी मुझे नहीं है ।

इंडियन ऑयल कारपोरेशन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण में आरक्षण दिया जाना

*122. **श्री रामदास अठावले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड और देश की अन्य तेल कंपनियों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए देश और विदेशों में प्रशिक्षण में आरक्षण दिए जाने के संबंध में कोई नियम/दिशा निर्देश विद्यमान हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत तथा विदेशों में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इनमें नामित किए गए सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की वर्ष-वार एवं श्रेणी-वार संख्या कितनी-कितनी रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां । सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश अन्य बातों के साथ-साथ यह बताते हैं कि संस्थानिक प्रशिक्षण और सेमिनारों/विचार गोष्ठी/सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए ।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल पीएसयूज द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान भारत के भीतर और विदेशों में आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वर्षवार और श्रेणीवार संख्या तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों तथा सामान्य उम्मीदवारों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।